फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती बसन्ती बाई — बनाम — विपक्षी : श्री राजपाल उर्फ राजमल

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम — पत्रावली संख्या : 57/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 3 उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी नम्बर 628 रकबा 1–01 बीघा में प्रार्थीया खातेदार है। विपक्षी उक्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीया एवं विपक्षी के बीच प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की सीमा को लेकर विवाद रहता हैं जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे न्यायालय आदेश से विपक्षी संख्या 1 का नाम हटाया गया। विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध के एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी हैं। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपनी बहस में बताया कि नवीन सटलमेंट के बाद राजस्व अभिलेख में प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. 628 किता 1 रकबा 1–01 बीघा के नवीन आराजी न. 469 रकबा 0.2300 है. बने। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि का जो नया नक्शा दर्ज किया गया है व नक्शा साबिक नक्शे से भिन्न व अलग हैं जिससे विपक्षी संख्या 3 द्वारा शुद्धि हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 75/23 अनवान जमना बनाम श्री तहसीलदार भीण्डर वगैरह माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं। जो वर्तमान में विचाराधीन है जिससे अधिवक्ता विपक्षी द्वारा पत्थरगढी नहीं की जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा नवीन सेटलमेंट के बाद नक्शे में भिन्नता होना बताया हैं जिसकी शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अगर नवीन सेटलमेंट के बाद साबिक नक्शे व नवीन नक्शे में किसी प्रकार की भिन्नता है तो प्रकरण में सशर्त पत्थरगढी किया जाना उचित होगा। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में सशर्त पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सशर्त स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का सशर्त स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलथल पटवार हल्का बरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2069–72 की खाता संख्या नया 111 की आराजी न. 628 रकबा 1–01 बीघा भूमि की भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। अगर साबिक व वर्तमान जमाबंदी में व नक्शा ट्रेस में अन्तर नहीं हो तो पत्थरगढी की जावें साथ ही प्रकरण संख्या 75/23 अनवान जमना बनाम तहसीलदार भीण्डर वगैरह में अंकित आराजी नम्बर का प्रभाव पत्थरगढी किये जाने पर नहीं पडें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करे कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीया अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:54:42 IST
Reason: SelfAttested